भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1865

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लिए कानूनी सहायता**

**1865 श्री परिमल नथवानी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश, विशेषकर झारखंड और गुजरात के गरीबों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रयास किये हैं ; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में डिजिटल और मोबाइल अदालतों की शुरुआत की है अथवा शुरुआत किए जाने की योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल मिलाकर पूरे देश में और विशेषकर झारखंड और गुजरात में तत्संबंधी ब्यौरा, यदि कोई हो, क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** जी, हां । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने सभी स्‍तरों पर, जैसे ताल्‍लुक, जिला और राज्यों के साथ-साथ उच्‍च न्‍यायालय तथा उच्‍चतम न्‍यायालय स्तर पर सभी निर्धन व्‍यक्‍तियों, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र भी हैं तथा जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन हकदार प्रवर्ग हैं, को नि:शुल्‍क विधिक सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए विधिक सेवा संस्‍थान गठित किए हैं । नि:शुल्‍क विधिक सेवा के अधीन न्‍यायालय फीस का संदाय, अधिवक्‍ता उपलब्‍ध कराना और पेपर बुक तैयार कराना आदि भी हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन वर्ष 2018-19 के दौरान गुजरात और झारखंड में (सितंबर, 2018 तक) लाभान्वित व्‍यक्‍तियों के ब्‍यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए हैं ।

न्‍याय विभाग ने "न्‍याय तक पहुंच" कार्यक्रमों की पहल जैसे "टैली विधि" और "मुफ्त विधिक सेवाए" आरंभ की है । टैली विधि स्‍कीम, 11 राज्‍यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्‍किम, त्रिपुरा, जम्‍मू-कश्‍मीर, उत्‍तर प्रदेश में और बिहार में सीमांत व्‍यक्‍तियों को नि:शुल्‍क विधिक सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए 1800 ग्राम पंचायतों में शुरू की है । 24.12.2018 को इस स्‍कीम के अधीन रजिस्‍ट्रीकृत 50,431 मामलों में से 44,017 मामलों में विधिक सलाह उपलब्‍ध कराई गई है । मुफ्त विधिक सलाह स्‍कीम के अधीन 341 मामले सीमांत व्‍यक्‍तियों के रजिस्‍ट्रीकृत किए गए हैं और 24.12.2018 को 362 मुफ्त सलाह देने वाले अधिवक्‍ता रजिस्‍ट्रीकृत किए गए हैं ।

**(ग) और (घ) :** सरकार ने अपने ई-न्‍यायालय मिशन परियोजना के अधीन देश में जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका में 16545 न्‍यायालय कंप्‍यूटरीकृत किए गए हैं जिसके अंतर्गत गुजरात राज्‍य में 1108 न्‍यायालय और झारखंड राज्‍य में 351 न्‍यायालय हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **उपाबंध-1** | | | | | | | |
| गरीबों और ग्रामीण इलाकों के लिए कानूनी सहायता के संबंध में श्री परिमल नथवानी संसद सदस्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1865 जिसका उत्तर तारीख 28.12.2018 को दिया जाना है के उत्तर में यथानिर्दिष्ट उपाबंध | | | | | | | | |
| **क्र.सं.** | | **राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण का नाम** | **जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की संख्या** | **विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** | **विधिक सेवा क्लीनिक (कारागार से भिन्न) के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** | **कारागार विधिक सेवा क्लीनिक के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** | **विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या** | **नए डिजाइन वाले विधिक सेवा शिविर मॉड्यूल (अप्रैल, 18 से अगस्त, 18) को अपनाने वाले कानूनी सेवा शिविरों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या** |
| 1 | | गुजरात | 31 | 11253 | 6296 | 2631 | 284,080 | 7448 |
| 2 | | झारखंड | 24 | 20104 | 58561 | 2750 | 586,932 | 2398438 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*